न्यायालय जिलाकलेक्टर, कोटा

पीठासीनअधिकारीः—डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —02/2025 (अपील)
GCMS No.2025/3

1. मोहनलालपुत्र मांगीलाल जाति भील
2. रमेशचन्द पुत्र मांगीलाल जाति भील मृतक का0मु
   2/1 विशाल पुत्र मांगीलाल जाति भील निवासी ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0
3. श्यामलाल पुत्र मांगीलाल जाति भील मृतक कायम मुकामान
   3/1 बजरंगलाल पुत्र श्यामलाल
   3/2 रामभरोस पत्र श्यामलाल
   3/3 राहुल पुत्र श्यामलाल जाति भील निवासी गाम उण्डवा तहसील रामगंज़मण्डी जिला कोटा राज0
4. केशोराम पुत्र नानूराम सिंह जाति भील निवासी ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0
5. दुर्गालाल पुत्र माधोलाल जाति भील निवासी ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
6. बालाराम पुत्र नानूराम सिंह जाति भील निवासी ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
7. जगदीश पुत्र घांसी जाति मेघवाल मृतक जरिये का0मु0
   7/1 दिनेश पुत्र जगदीश
   7/2 भगवान पुत्र जगदीश
   7/3 धापूबाई पत्नी जगदीश जाति मेघवाल निवासी ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

——अपीलान्टगण

बनाम

1. डाली बाई पत्नी स्व0 बाला
2. देवलाल पुत्र स्व0 बाला
3. नानी बाई पुत्री स्व0 बाला
4. मनोहर बाई पुत्री स्व0 बाला
5. राजकुमार पुत्र स्व0 बाला
6. शोभाराम पुत्र स्व0 बाला जाति मेघवाल
   निवासीगण ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0
7. अमृतलाल पुत्र हीरालाल जाति जाटव निवासी खटीक मोहल्ला रामगंजमण्डी जिला कोटा

——रेस्पोडेंट्स

जिला कलक्टर
कोटा

अपील विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनांक 29.10.2024 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी मिसल नं0 01/2024 उनवान डालीबाई बनाम मोहनलाल अन्तर्गत धारा 183—बी रा0टी0एक्ट

उपस्थित—

1. श्री अरूण कुमार जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री दिनेश कुमार शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण

निर्णय

दिनांकः– 25 .03.2025

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–वी के सम्बन्ध में मि0नं0 01/2024 में दिनांक 29.10.2024 को निर्णय पारित किया कि– "गुणावगुण के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को विवादित आराजी खसरा नं0 18 रकबा 0.56 व खसरा नं0 23 रकबा 0.57 हे0 किस्म बाराजी द्वितीय वाके माल मोजा उण्डवा से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है । उक्त भूमि खसरा नं0 18 रकबा 0.56 व खसरा नम्बर 23 रकबा 0.57 हे0 किस्म बारानी द्वितीय पर से अप्रार्थीगण को भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा प्रार्थीगण को दिलाया जावें । निर्णय की प्रति पालनार्थ पटवारी हल्का उण्डवा व भू अभिलेख निरीक्षक उण्डवा को भिजवाई जाकर लिखा जावे कि अपील मियाद गुजरने बाद पालना पेश हो ।
2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 26.12.2024 को इस न्यायालय में लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वरा अपने अधिकारों से परे जाकर टाइम बाद व प्रार्थना पत्र को आवश्यक प्लीडिंग के अभाव में खारिज करना चाहिये था परन्तु उनके द्वारा अपने अधिकारों से परे जाकर अपीलान्ट्स के विरूद्व बेदखली का निर्णय गलत तौर पर पारित किया है जो कानूनन निरस्त होने योग्य है ।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया, रेस्पो0 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री दिनेश कुमार शर्मा का वकालतनामा पेश हुआ । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उपस्थित विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी में खसरा नम्बर 18 की 0.56 हे0 व खसरा नम्बर 23 की 0.57 हे0 आराजी स्थित है, विवादग्रस्त आराजी को कभी रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं रहा है और ना ही कभी मौके पर रेस्पेडेन्टस की भूमि रही है इसके सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा दखलनामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकारों से परे जाकर अपीलान्ट्स के विरूद्व उक्त निर्णय पारित किया है जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है । रेस्पोडेन्टस के विरूद्व उनकी गैर मौजूदगी में एकतरफा पैमाईश रिपोर्ट अपनी मन मर्जी से तैयार करवा ली है जिसका की कोई न्यायोचित आधार नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर अपीलान्ट्स के विरूद्व विवादी आराजी पर से बेदखली का आदेश पारित किया है जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है । सेटलमेन्ट के द्वारा नक्शे में गलत तौर से दुरूस्ती करने पर एवं खसरा नम्बर को अपने अधिकारों से परे जाकर तरमीम कर दिया है जिसका की सेटलमेन्ट वालों को कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है जिसका कोई उचित एवं विधिक आधार नहीं होने के कारण भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स के विरूद्व निर्णय पारित किया है जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाट्स 1 लगायत 6 के विरूद्व खसरा नम्बर 18 की भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट्स 7–8 के विरूद्व केस के सम्बन्ध में बेदखली का प्रार्थना पत्र धारा 183–बी आर टी एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जबकि उन्हें अपीलान्ट्स 1 लगायत 6 एवं 7 एवं 8 के विरूद्व अलग अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके कार्यवाही करना चाहिए था जो कि उनके द्वारा नहीं की गयी है । इस कारण से उक्त प्रकरण में मिसजॉइडर ऑफ पार्टीज एवं मिसजोइन्डर ऑफ कोजऑफ एक्शन का कानूनी दोष है । अधीनस्थ न्यायालय में दौराने ट्रायल रमेशचंद पुत्र मांगीलाल का स्वर्गवास दिनांक 11.6.2017 श्यामलाल पुत्र मांगीलाल का स्वर्गवास दिनांक 15.01.2022 एवं जगदीश पुत्र घांसीलाल का स्वर्गवास दिनांक 8.7.2023 को हो गया था और रेस्पोडेन्टस को उक्त तथ्य की जानकारी होने के बावजूद इन्होनें मृतक व्यक्तियों के कायम मुकामान बनाये बिना ही एवं उक्त तथ्य को छुपाते हुये अपने पक्ष में धारा 183 बी आर टी एक्ट का निर्णय करवा लिया, उक्त निर्णय मृतक व्यक्तियों के खिलाफ गैर कानूनी रूप से पारित किया गया है जो कानून की निगाह में नलिटी होने के कारण निरस्त होने योग्य है । विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने से मियाद के बिन्दु पर अपीलान्ट द्वारा कथन किया है कि निर्णय की जानकारी वकील द्वारा उन्हें नहीं दी

जिला कलक्टर कोटा

गई तथा दिनांक 17.12.2024 को अपीलान्ट मोहनलाल निजी कार्य से रामगंजमण्डी जाने पर वकील साहब से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा निर्णय दिनांक 29.10.2024 की जानकारी दी गई जिस पर दिनांक 18.12.2024 को नकल का आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 23.12.2024 को नकलें प्राप्त कर बिना विलम्ब किये यह अपील प्रस्तुत की है जो प्रथम जानकारी की तारीख 17.1.2024 से अवधि मध्य प्रस्तुत है । अतः उपरोक्त परिस्थितयों को मध्य नजर रखते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ग्राम उण्डवा में आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 0.56 हे0 व खसरा नम्बर 23 रकबा 0.57 हे0 भूमि किस्म बारानी द्वितीय खातेदारी की दर्ज रेकार्ड है जिस पर अप्रार्थीगण अपीलान्टगण द्वारा अतिक्रमण करने पर बेदखली हेतु अन्तर्गत धारा 183–बी रा0टी0एक्ट में प्रार्थना पत्र तहसीलदार रामगंजमण्डी के समक्ष प्रस्तुत किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने रिपोर्ट पटवारी तलब की गई जिस अनुसार रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थीगण अपीलान्ट द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि में शामिल कर कब्जा काश्त किया जाना जाहिर आने पर अपीलाधीन निर्णय से अप्रार्थीगण अपीलान्ट की उक्त वादग्रस्त भूमि से बेदखली एवं कब्जा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को सुपुर्द करने के आदेश प्रदान किये गये है, जो मौका स्थिति एवं कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही होने से प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 29.10.2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी रा0टी0एक्ट के विरूद्व लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 26.12.2024 को पेश की गई है जो निर्धारित समय सीमा में पेश नहीं की है, किन्तु विलम्ब के शमन के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में बताये गये कारणों को ध्यान में रखते हुए तथा अपील में गुणावगुण का बिन्दु निहित होने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।

7. प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट का मुख्य तर्क है कि वादग्रस्त भूमि सेटलमेन्ट के द्वारा नक्शे में गलत तौर से दुरूस्ती करने पर एवं खसरा नम्बर को अपने अधिकारों से परे जाकर तरमीम कर दिया है जिसका की सेटलमेन्ट वालों को कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है, आगे यह भी तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी रमेशचंद पुत्र मांगीलाल का स्वर्गवास दिनांक 11.6.2017 श्यामलाल पुत्र मांगीलाल का स्वर्गवास दिनांक 15.01.2022 एवं जगदीश पुत्र घांसीलाल का स्वर्गवास दिनांक 8.7.2023 को हो गया था कायम मुकामान नहीं बनाये है तथा कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिये बिना ही आदेश पारित करने का तथ्य अंकित करते हुए धारा 183 बी आर टी एक्ट का निर्णय करवा लिया, उक्त निर्णय मृतक व्यक्तियों के खिलाफ गैर कानूनी रूप से पारित किया जाना बताते हुए नलिटी होने से निरस्त होने योग्य बताया है । हमने पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिस अनुसार प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के नाम ग्राम उण्डवा में दर्ज भूमि खसरा नं018/0.56 हे0, खसरा नं0 23/0.57 हे0 भूमि राजस्व रेकार्ड में खातेदारी की दर्ज रेकार्ड है जिस पर मोहनलाल, रमेशचन्द पिसरान मांगीलाल, केशोराम, बालाराम पिसरान नानूराम, दुर्गालाल पुत्र गाधोलाल, जगदीश, मांगीलाल पिसरान घांसी, बजरंगलाल,रामभरोस, राहुल पिसरान श्यामलाल जाति भील निवासी उण्डवा का नाजायज कब्जा काश्त होना बताया है तथा उक्त दोनों खसरा नम्बरान की भूमि अपने खाते की भूमि के साथ मिलाकर एकसाथ खेती करना बताया जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के बेदखली के आदेश पारित करते हुए प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को कब्जा सुपुर्द करने के आदेश दिये है । वकील अपीलान्ट की आपत्ति है कि मृतक अप्रार्थी अपीलान्ट रमेशचंद, श्यामलाल जगदीश का स्वर्गवास होने के बावजूद उनके कायम मुकाम नहीं बनाये गये तथा वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRD 2019 पेज 28 से 34 प्रस्तुत की है जिस अनुसार कोई भी मृतक पक्षकार के बिना कायम मुकाम रिकार्ड पर लिये निर्णय पारित नहीं किया जाना चाहिए, उक्त न्यायिक निर्णय से हम सहमत है किन्तु यह न्यायिक दृष्टान्त आवंटन भूमि से सम्बन्धी होकर आवंटी के फोत होने पर उनके कायम मुकामान को रिकार्ड पर लेने से सम्बन्धी है किन्तु इस

जिला कलक्टर
कोटा

मामले में राजस्व रेकार्ड एवं मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट जो कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर अन्य का कब्जे का होने से यह न्यायिक निर्णय पूर्णरूप से इस प्रकरण में लागू नहीं होता है तथा तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा भी इस प्रकरण में प्रार्थी की भूमि अन्य व्यक्तियों प्रार्थीगण अपीलांट के कब्जे में होने से 183–बी रा0टी0एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत अतिकमियों की बेदखली कर कब्जा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को सुपुर्द कराने के आदेश पारित किये है जिसे न्याय की दृष्टि से हम उचित मानते है । यदि अपीलांट उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सेटलमेन्ट द्वारा गलत तरमीम होना मानते है तो इसके लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर राहत प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है । तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा पारित निर्णय उचित पाते है । अपील स्वीकार योग्य नहीं है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय 29.10.2024 गुणावगुण के आधार पर होने से किसी प्रकार से हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।
9. निर्णय आज दिनांक 25.3.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा